महत्वपूर्ण

संख्या:–2823/71–2–17–158/2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2017

विषयः नीट यू0जी0, 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2234/71–2–17–158/2017, दिनांक 03.07.2017 द्वारा नीट यू0जी0 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये थे। नीट यू0जी0, 2017 की काउंसलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/967, दिनांक 01.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में नीट यू0जी0, 2017 की द्वितीय राउण्ड काउंसिलिंग/प्रवेश तथा मॉप–अप राउण्ड की काउंसिलिंग/प्रवेश तथा अन्य सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) द्वितीय राउण्ड/माप–अप राउण्ड काउंसिलिंग–

द्वितीय राउण्ड कांउसिलिंग एवं माप–अप राउण्ड की काउंसिलिंग तथा प्रवेश आदि की कार्यवाही निम्नलिखित यथासंशोधित शिड्यूल के अनुसार करायी जायः–

JD(MG)/Av.3
18
3-8-17

क्र0 स0	विवरण	अवधि	दिवस
1	पुनः पंजीकरण	दिनांक 06 से 10 अगस्त 2017 तक	05
2	द्वितीय काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 09 अगस्त 2017 से 12 अगस्त 2017 तक	04
3	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 13 अगस्त 2017	01
4	द्वितीय चक की च्वाईस फिलिंग	18 अगस्त, 2017	01
5	परिणाम की घोषणा	19 अगस्त 2017	01
6	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश की तिथि	दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2017	02
7	माप–अप राउण्ड हेतु पंजीकरण	दिनांक 23 अगस्त 2017	01
8	मेरिट सूची का प्रकाशन	24 अगस्त, 2017	01
9	राजकीय सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड आवंटन की कार्यवाही एवं प्रवेश	दिनांक 25 अगस्त, 2017	01

10	निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड की कार्यवाही एवं प्रवेश	दिनांक 26 एवं 27 अगस्त 2017	02
11	निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु मॉप अप राउण्ड की कार्यवाही एवं प्रवेश।	भारत सरकार द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी नवीन समय–सारिणी के अनुसार आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।	---

(ii) अभिलेखों का सत्यापन–

द्वितीय राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का सत्यापन समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों– अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन, कन्नौज, बांदा तथा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर, एस0एन0मेडिकल कालेज, आगरा, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झॉसी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में किया जायेगा।

(iii) माप–अप राउण्ड के पश्चात प्रवेश–

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–267/2017 (सिविल) दार–उल–सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट तथा अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में माप–अप राउण्ड के पश्चात यदि सीटें अवशेष रह जाती है तो एक सीट के सापेक्ष मेरिट के आधार पर 10 अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को प्रवेश हेतु उपलब्ध कराये जाने के निर्देश उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2017 में दिए गये थे।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 09.05.2017 तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.07.2017 में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 23.08.2017 को माप–अप राउण्ड हेतु पंजीकरण कराते समय ही सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण फार्म में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के इच्छुक होने की दशा में वरीयता के आधार पर मेडिकल कालेजों को दर्शाया जायेगा ताकि दिनांक 27.08.2017 के पश्चात यदि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटें रिक्त रहती है तो तद्नुसार उन्हें सूची तैयार कर प्रवेश हेतु दिनांक 28.08.2017 को प्रेषित की जा सके।

निजी क्षेत्र के सम्बन्धित कालेजों द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी सूची के सापेक्ष मेरिट के आधार पर ही दिनांक 31.08.2017 तक प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर प्रवेशित छात्रों की सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट (www.updgme.in) पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) सिक्योरिटी मनी–

शासनादेश संख्या–2234/71–2–17–158/2017, दिनांक 03.07.2017 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में एलॉटमेन्ट लैटर डाउनलोड के पहले ऑनलाइन प्रक्रिया (डेबिट/केडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग से ही) के माध्यम से जमा किए जाने के आदेश निर्गत किए गये थे।

नीट यू0जी0, 2017 की प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की कुल 2550 सीटों के सापेक्ष 2530 सीटों पर तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की 2200 सीटों के सापेक्ष 2120 सीटों पर आवंटन की कार्यवाही की गयी थी। एम0बी0बी0एस0 की आवंटित 2530 सीटों के सापेक्ष 153 सीटों तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की आवंटित 2120 सीटों के सापेक्ष 254 सीटों पर ही अभ्यर्थियों द्वारा एलाटॅमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रवेश लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर अभ्यर्थियों ने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीटों के सापेक्ष एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रवेश नहीं लिया गया है। अतः प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी ही सीट लॉक करे इसके लिए च्वाइस लाकिंग के पूर्व ही सम्बन्धित अभ्यर्थी से सिक्योरिटी की धनराशि रू0 2.00 लाख प्रकिया (डेबिट/केडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग) तथा बैंक द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करायी जाय।

2– शासनादेश दिनांक 03.07.2017 के बिन्दु–**V** में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की तालिका के कमांक–2, 3 एवं 4 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु Neet Percentile के कालम में 45 के स्थान पर Neet Percentile 40 समझा जाय।

3– काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.07.2017 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

4– महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा उपर्युक्त आदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों को प्रश्नगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश की प्रति वेबसाइट www.updgme.in एवं https://upneet.gov.in पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा अपलोड की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
02/08/17
(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

So/Go/2017

संख्या–2823(1)/71–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान/अल्पसंख्यक डीम्ड विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।